०८५/८९१

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
50/2018	03-04-2018	09/06/2022

उनवान

01. मामचन्द पुत्र श्री नारायण

02. पांची पत्नी मामचन्द जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (मृतक)

1/1 – वीरपाल

1/2 – नरेश पुत्रान स्व. पांची पत्नी श्री मामचन्द जाति गुर्जर निवासीगण नंगलिया भिवाडी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादीगण

बनाम

01. जयभगवान पुत्र रामचन्दर ब्राहमण निवासी जटीपुर तहसील समालखॉ (हरियाणा)

02. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा जिला अलवर, बहैसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 850/891 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजी मिन वादीगण की माता/सास सुखदेई पत्नी नारायणसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित आराजी में मिन वादीगण की माता/सास सुखदेई का 9/10 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 भाग मुताबिक जमाबन्दी निहित रहा है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दर्ज है। वादीगण की माता सुखदेई व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से आराजी का बंटवारा किया हुआ था और उसी अनुरूप काबिज व दाखिल होकर काश्त करते रहे है। मिन वादी संख्या 1 की माता सुखदेई ने अपना हिस्सा जरिये शुद्दि पत्र कराया और उसके अनुसार मिन वादी संख्या 1 की माता का हिस्सा 6/10 भाग व वादीयां संख्या 2 पांची का 2/10 हिस्सा हो गया। जिसका अंकन दर्ज रिकार्ड है। उसके उपरान्त मिन वादीगण की माता/सास सुखदेई का देहान्त हो गया और उसके मरने के बाद उसका हिस्सा मिन वादी संख्या 1 व श्यामलाल, मनफूल, हरिसिंह पुत्रान व बदामी सुमेरो पुत्रीयान को जरिये विरासत प्राप्त हो गया। मिन वादी संख्या 1 के भाई श्यामलाल, मनफूल, हरिसिंह व बहिने बदामी व सुमरो अपना हिस्सा मिन वादी संख्या 1 के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में मिन वादी संख्या 1 का 6/10 हिस्सा व वादियां संख्या 2 का 3/10 हिस्सा यानि तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी है। मिन वादीगण अपने हिस्से पर एक साथ काबिज व दाखिल है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य लिखित में तकासमा नहीं हुआ है। बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल है। मिन वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर मिन वादीगण का वास्तविक कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 जोकि मुतमर्द व लडाका किस्म का आदमी है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करता है। उक्त विवादित आराजी की कीमत बढ जाने के कारण अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है। जो बेईमानीपूर्वक आशय से मिन वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी में आये रोज मजाहमत व मदाखलत पैदा करता रहता है। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है तथा मिन वादीगण तकासमा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण 1 उपस्थित होकर वादी में राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। उपस्थित वकील वादीगण ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 04–03–2020 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2018/5553 दिनांक 21–05–2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 850/891 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	जयभगवान पुत्र रामचन्दर जाति ब्राहमण सा. जटीपुर तहसील समालखॉ (हरियाणा) खातेदार	850/891/1	0.051
02.	वीरपाल, नरेश पुत्रान पांची पत्नी मामचन्द 1/3 हि. मामचन्द पुत्र नारायण सिंह 2/3 हि. जाति गुर्जर सा. भिवाडी खातेदार	850/891/2	0.459

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)